# इकाई 7 वैश्विक राजनीति और पर्यावरण

**संरचना**


7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संबंधी चुनौतियां

7.3 पर्यावरण संरक्षण और संयुक्त राष्ट्र

7.4 पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक संस्थान

- 7.4.1 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)
- 7.4.2 सतत् विकास पर आयोग (सीएसडी)
- 7.4.3 वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ)
- 7.4.4 सुधारों की आवश्यकता

7.5 चिंता का विषय

7.6 पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार

7.7 पेरिस जलवायु समझौता

- 7.7.1 पेरिस जलवायु समझौते के तहत लक्ष्य
- 7.7.2 पेरिस जलवायु समझौते की कार्य–प्रणाली
- 7.7.3 वैश्विक राजनीति और जलवायु परिवर्तन की कूटनीति

7.8 भारत और पेरिस जलवायु प्रतिबद्धताएं

7.9 सारांश

7.10 संदर्भ ग्रंथ

7.11 अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास के उत्तर


## 7.0 उद्देश्य

इस इकाई में आप वैश्विक राजनीति और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप समझेंगे :

- पर्यावरण संरक्षण की प्रमुख चुनौतियां,
- संकट को कम करने के लिए वैश्विक और स्थानीय स्तर पर उठाए गए कदम,
- सतत् भविष्य की दिशा में विकसित और विकासशील देशों द्वारा की गई पहल,
- संकट कम करने के लिए हम में से प्रत्येक को उपचारात्मक उपायों का पालन करना चाहिए।

## 7.1 प्रस्तावना

शीत युद्ध के दौर के विश्व ने जिन चुनौतियों का सामना किया वे राजनीतिक या सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नहीं थीं, जैसा कि अपेक्षित था, बल्कि पर्यावरण जैसी बड़ी चुनौतियां थीं। तब तक माना जाता था कि पर्यावरण संरक्षण के मामले में दुनिया सुरक्षित है। किसी देश ने कभी सोचा भी नहीं था कि पर्यावरण के मुद्दे अन्य मुद्दों की अपेक्षा इतने विकराल हो जाएंगे। 1970 के दशक और उसके बाद आए पर्यावरण संबंधी कानूनों के बावजूद इसे कोई खतरा नहीं माना गया। शीत युद्ध के बाद के दौर के अधिकांश मुद्दे राजनीतिक एवं पूरी दुनिया में मुक्त बाजार वाली आर्थिक नीतियों की शुरुआत से संबंधित थे और इस तरह भूमंडलीकरण तत्कालीन सभी मुद्दों पर हावी हो गया। पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर तब तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जब तक कि 1992 में वैश्विक पर्यावरण संकट पर एक ऐतिहासिक और अग्रणी रिपोर्ट नहीं आई। इस अप्रत्याशित चुनौती को लेकर दुनिया जाग गई और इसके दुष्परिणामों का मुकाबला करने के तरीकों और साधनों पर विचार करना शुरू कर दिया। इस अवधि को पिछले दृष्टिकोणों से आगे बढ़ने और भावी पीढ़ियों के लिए सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने की दिशा में चिह्नित किया गया। यह इकाई कुछ आवश्यक विशेषताओं की व्याख्या करती है ताकि पाठक पर्यावरण संकट के मुद्दे को समझ सकें।

## 7.2 आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संबंधी चुनौतियां

20वीं शताब्दी के पहले हिस्से में दो विश्व युद्ध और उसके बाद शीत युद्ध का बोलबाला था। इस कालखंड में आर्थिक विकास प्रमुख था, जिसमें सभी देश इस बात की रणनीति बना रहे थे कि आर्थिक रूप से कैसे विकास करें और अपने समृद्ध समकक्षों के स्तर तक पहुंचने में विकासशील देशों की कैसे मदद हो। विकास या आर्थिक विकास इस प्रतिमान का मूल–मंत्र, साधन और अंत बन गया। इसलिए विकसित और विकासशील, दोनों देश विकास में भागीदार बने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक एवं क्षेत्रीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विकास का अर्थ केवल बुनियादी मापदंड नहीं था, इसका मतलब था लोगों की पसंद, चुनने की आजादी और बढ़ने की क्षमता। यह असीम विकास और व्यक्तियों की समृद्धि की दिशा में एक कदम होना चाहिए, यही विकास के समर्थकों द्वारा पेश किया गया प्रमुख दृष्टिकोण था। विकास करने की क्षमता को विकसित करने और उसका आकलन करने की प्रक्रिया में सभी देश इस तथाकथित लाभदायक काम का भागीदार बनने की दिशा में चल पड़े। कुछ देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और संयोग से यह वह समय था जब प्राकृतिक वातावरण भी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया।

आर्थिक सरलीकरण की इस प्रक्रिया को व्यापक रूप से वैश्वीकरण के रूप में जाना गया, जिसका उद्देश्य एक देश द्वारा दूसरे देश के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सभी संभावित मामलों का आदान–प्रदान करना था। इस तथ्य के बावजूद भी कि कई देशों के पास उनके जैसा बनने की क्षमता या संसाधन नहीं थे, विकास मॉडल मूलतः पश्चिमी थे। इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक प्रणाली भी विफल थी जो मुख्य रूप से कई मामलों में असमान थी, जिससे अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब बन गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, शुल्क एवं व्यापार पर

सामान्य समझौता और अन्य आर्थिक उपाय विकासशील देशों के लिए विरोधी साबित हुए। आर्थिक विकास और समृद्धि इनमें से अधिकांश के लिए एक सपना बनकर रह गया। विकास के इस मॉडल के लालच ने इन देशों को अपने कई कीमती संसाधन खोने के लिए विवश कर दिया।

जैसा कि प्रख्यात अर्थशास्त्री अमिया बागची कहते हैं, "सही अर्थों में वैश्वीकरण सामान्य मानवीय भावना का अनुभव है और दुनिया भर से निकलने वाले प्रभावों से समृद्ध है। यह मानव इतिहास तक सीमित नहीं है। इसमें सभी महाद्वीपों या क्षेत्रों के लोग एक–दूसरे से अवगत हो रहे हैं और वस्तुओं, संयंत्रों और तकनीकों का एक–दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं''। वैश्वीकरण का मौजूदा चरण मुक्त व्यापार के अर्थ में अलग है और इसमें मुक्त बाजार उच्च कारक बन गया है। अत्यधिक उद्योगवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था को मंदी और काम के बिगड़ते हालात की ओर बढ़ाया है। दुनिया तेजी से बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी की ओर बढ़ रही है, क्योंकि विकास दर का वितरण और रोजगार, बढ़ते अभाव और अनुपयोगिता के सवाल का समाधान करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया आगे नहीं बढ़ रही है, विशेष रूप से विकास और समृद्धि हासिल करने की उम्मीद में खुद को डुबो देने वाले विकासशील देश गहरे संकट से बाहर निकलने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

विकास और संसाधनों के नुकसान के बारे में बढ़ती राजनीतिक चेतना के कारण जल्द ही एक–एक करके सभी देशों ने इसे महसूस किया और वैश्विक स्तर पर इन मुद्दों को हल करने और उपचारात्मक उपाय करने की मांग बढ़ी। 1972 की स्टॉकहोम घोषणा, जिसे भारत ने भी अनुपालन करने का आश्वासन दिया था, अचानक समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण बन गया। संसाधनों का तेजी से ह्रास, ओजोन परत का क्षरण, लुप्त हो रहे जंगल, सूखती नदियां और लुप्त होते पशु एवं पौधे गंभीर मुद्दे बन गए। शायद यह पहली बार था जब इस कड़वी सच्चाई को लेकर दुनिया सचेत हुई और क्षति नियंत्रण के उपाय करने के लिए प्रेरित हुई। वर्तमान पर्यावरण संकट मानव जाति द्वारा पृथ्वी के सीमित संसाधनों के दोहन का परिणाम है। पर्यावरण पतन के आसन्न खतरे के साथ ही मानव जाति को आखिरकार एहसास हो गया कि पृथ्वी के पास सीमित संसाधन हैं। यह संकट वर्तमान भारी आबादी के अस्तित्व के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की खोज करने और भविष्य के लिए एक ऐसी प्रणाली बनाने की चुनौती पेश करता है, जिसमें मानव प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। इसमें वैश्विक भागीदारी का होना, लुप्त हुए कुछ संसाधनों को बहाल करने की दिशा में एक गंभीर प्रयास की शुरुआत थी।

### अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 1

**नोटः** i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें।

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें।

1. आर्थिक विकास की अवधारणा को परिभाषित करें। क्या यह सच है कि इससे पर्यावरण का क्षरण हुआ?

.....

.....

.....

## 7.3 पर्यावरण संरक्षण और संयुक्त राष्ट्र

भागीदार देशों द्वारा कई आशंकाओं के साथ मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। इसमें सामने खड़े इन मुद्दों का सामूहिक रूप से समाधान निकालने का आह्वान किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 तक आयोजित किया गया था, जिसमें 114 देशों के लगभग 1200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह ध्यान देने योग्य है कि इसमें दो राष्ट्रों के प्रमुखों, अर्थात् स्वीडन के ओलाफ पाल्मे और भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी ने भाग लिया था। सम्मेलन का घोषणा–पत्र 26 सिद्धांतों का एक गैर–बाध्यकारी दस्तावेज था, जिसमें संसाधनों के संरक्षण में विकसित और विकासशील, दोनों देशों के साझा हितों का ध्यान रखा गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिद्धांत 21 के माध्यम से घोषित किया गया, जो संसाधनों पर राज्य के संप्रभु अधिकार पर जोर देता है और संसाधनों की सुरक्षा एवं पर्यावरण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता की बात कहता है। हालांकि सम्मेलन सभी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा और कई मायनों में असंगत लग रहा था, लेकिन इसने दुनिया भर के राष्ट्रों द्वारा चिंताओं के समाधान की पहल की। इस बैठक का एक महत्वपूर्ण परिणाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण बैठकों और संबंधित कानून के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की बड़ी भूमिका को निर्धारित किया। भारत में भी श्रीमती गांधी ने पर्यावरण से संबंधित कई कानूनों को लागू किया। सन 1970 के शुरुआत में उत्तराखंड राज्य में महिलाओं द्वारा शुरू की गई चिपको आंदोलन के बाद व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ों की कटाई को रोकने का निर्णय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी।

स्टॉकहोम बैठक के बाद के घटनाक्रम में किसी व्यापक कार्य–योजना के अभाव में यह दिखावटी अधिक था, लेकिन डंपिंग, प्रजाति, प्रदूषण आदि पर हुए समझौते जैसे कुछ मामलों में सकारात्मक कार्य हुए। इनमें 1972 लंदन डंपिंग कन्वेंशन, जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1973, विलुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन 1973, ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 का वियना सम्मेलन, खतरनाक कचरे का अंतर–सीमाई गतिविधियां एवं उसके निपटान पर नियंत्रण 1989 प्रमुख हैं। सन 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'वर्ष 2000 और उसके आगे सतत विकास प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक पर्यावरण संबंधी रणनीतियों के प्रस्ताव' के लिए एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की। पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग या ब्रून्डलैंड आयोग के रूप में विख्यात एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें नॉर्वे के प्रधानमंभी ग्रो हार्लेम ब्रून्डलैंड को अध्यक्ष और 22 देशों के 23 विशेषज्ञ सदस्यों को पर्यावरण संरक्षण का उपाय करने के लिए आयोग के हिस्से के रूप में चुना गया था। 'हमारा आम भविष्य' के रूप में ज्ञात आयोग की अंतिम रिपोर्ट 1987 में आई थी। इस बीच कई देशों ने अपने संसाधनों के संरक्षण की दिशा में काम करना शुरू कर दिया और सामने आने वाली गंभीर पर्यावरण संबंधी चिंताओं की पहचान की और व्यापक समझौते किए और सामूहिक रूप से अपने हितों की रक्षा करने का वचन दिया। पर्यावरण पर कई प्रस्तावों के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस मुद्दे पर एक बड़ी वैश्विक बैठक बुलाने का फैसला किया। इसने पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीईडी) का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे रियो शिखर सम्मेलन (उस

स्थान के नाम पर जहां यह सम्मेलन हुआ था) या पृथ्वी शिखर सम्मेलन (पृथ्वी ग्रह की चिंताओं पर आधारित नाम) के नाम से भी जाना जाता है।

रियो शिखर सम्मेलन ने पर्यावरण में हो रही तेज गिरावट को रोकने, संसाधनों की सुरक्षा में राष्ट्रों की भागीदारी को बढ़ाने और सभी देशों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर काम करने का निर्णय लिया। इस पर 3 से 14 जून 1992 को यूएनसीईडी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों की अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई थी। इसमें 178 राष्ट्रीय प्रतिनिधि, 1400 से अधिक आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त गैर–सरकारी संगठन और कई पत्रकार शामिल हुए थे। सम्मेलन के अंतिम दिनों में रियो घोषणा–पत्र, एजेंडा 21 और वन सिद्धांतों के कथन समझौते को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और जैविक विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) कुछ ऐतिहासिक परिणाम थे। इसमें यह भी तय किया गया था कि एजेंडा 21 से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन को देखने के लिए पांच साल के भीतर एक समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

27 सिद्धांतों वाला रियो घोषणा–पत्र प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में मानव जाति के इतिहास की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसने न केवल भाग लेने वाले देशों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की, बल्कि इसके कार्यान्वयन सदस्य के रूप में गैर–सरकारी संगठनों, युवाओं और विभिन्न स्वदेशी समुदायों को भी शामिल किया। जैसा कि लोरेन इलियट ने कहा है, 'घोषणा–पत्र और इसके सिद्धांतों को वैश्विक प्रभुत्व के बजाय राज्य संप्रभुता की अनिवार्यता द्वारा आकार दिया गया है और सुदृढ़ किया गया है। घोषणा–पत्र सतत विकास की अवधारणा और व्यवहार में पर्यावरण एवं विकास के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कठिनाइयों का उदाहरण देता है।' (पृ. 19)।

40 अध्यायों वाला एजेंडा 21 एक गैर–बाध्यकारी समझौता है जो घोषणा–पत्र के सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक व्यापक कार्य–योजना तैयार करता है। इसके सिद्धांतों में गरीबी से मुकाबला, उपभोग के तरीके, मानव स्वास्थ्य एवं पुनर्वास, भूमि संसाधन, वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, सूखा, स्थायी कृषि, जैव विविधता, महासागर, ताजा जल संसाधन, जल प्रबंधन जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसमें इसके साथी सदस्य के रूप में शामिल हैं, जो युवाओं, महिलाओं और गैर–सरकारी संगठनों के सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक धन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संस्थागत व्यवस्था और क्षमता निर्माण जैसी प्रक्रियाओं में विभिन्न सुविधाओं का विस्तार दे सकते हैं।

महासभा द्वारा न्यूयॉर्क के अपने विशेष सत्र में एजेंडे को फिर शामिल किया गया था। यह एक समीक्षा बैठक के साथ–साथ उन मुद्दों पर आगे की चर्चा के लिए एक आधार था, जो इन पांच वर्षों में महत्वपूर्ण हो गए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उसी वर्ष क्योटो में कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते की वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक की गई, जिसे सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता था। इस बैठक में सभी देशों के अलग–अलग सुर थे और उत्सर्जन को लेकर कई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसे हर देश को व्यक्तिगत रूप से लागू करना था। यह बिना किसी ठोस योजना की एक शिखर बैठक थी।

सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन साल 2002 में 26 अगस्त से 4 सितंबर तक जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इस बैठक में सदस्य देशों से उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करने की प्रतिबद्धता दोहराने के लिए कहा गया था, जो मानव जाति के हित में हैं। कई मुद्दे अनसुलझे रह गए और इसके लिए राजनीतिक इच्छा–शक्ति की कमी काफी हद तक स्पष्ट थी। यह राष्ट्रों के अधिक बयानबाजी और कम प्रतिबद्धताओं के साथ समाप्त हो गया।

**अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 2**

नोट : i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. पर्यावरण के संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों का सारांश लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

## 7.4 पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक संस्थान

बेहतर पर्यावरण प्रबंधन और परियोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए गए हैं। हालांकि, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों और उद्देश्यों को महत्वाकांक्षी रूप से तैयार किया गया है, जबकि वास्तविकता में प्रयासों को बेहतर सामंजस्य और समन्वय की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में स्थापित की गई कुछ एजेंसियों ने कई मुद्दों के समाधान में सराहनीय काम किया है।

### 7.4.1 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)

1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम के रूप में यूएनईपी का उदय हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य सम्मेलन में निर्धारित की गई गतिविधियों की निगरानी, समन्वय और पहल करना है। इसका काम वैश्विक पर्यावरण परिवर्तनों का समय–समय पर आकलन करना और बेहतर पर्यावरण प्रबंधन की गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है। यह सरकारी एवं गैर–सरकारी एजेंसियों और प्रायोजकों के साथ मिलकर व्यापक तौर काम करता है जो पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यूएनईपी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए, जिनमें जैव विविधता, ओजोन का क्षरण, मरुस्थलीकरण, विषाक्त अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान, लुप्तप्राय प्रजातियों और निवास स्थान की देखभाल शामिल हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विकासशील देशों को शुरू में यूएनईपी को लेकर संदेह था और उन्होंने महसूस किया कि इस तरह की निकाय की स्थापना से उनके वित्तीय बोझ और प्रतिबद्धता में वृद्धि होगी। यूएनईपी सचिवालय कार्यकारी निदेशक के मार्गदर्शन में काम करता है, शासन परिषद आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) को रिपोर्ट करता है और इसके माध्यम से महासभा को रिपोर्ट की जाती है। दुर्भाग्य से यूएनईपी के पास कार्यकारी शक्तियां नहीं हैं। यह पर्यावरण से

संबंधित बहुपक्षीय समझौतों की सुविधा प्रदान करता है और वैश्विक पर्यावरण दृष्टिकोण को इसके निर्देशन में प्रकाशित किया जाता है। यह गंभीर बजट समस्याओं का सामना करता है क्योंकि कोई भी देश उतना योगदान नहीं देता जितना उससे उम्मीद की जाती है। एजेंडा 21 द्वारा किए गए प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र के 179 सदस्य देशों में से केवल 75 देशों ने ही कोष में अपना योगदान दिया। पर्यावरण संरक्षण और उसकी बेहतरी की दिशा में काम करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यूएनईपी अल्प वित्तपोषित, कम समर्थन वाला संस्थान है और इसे अनुपालन के स्पष्ट आदेश नहीं दिए गए हैं। यूएनईपी की गैर–कुशल कार्य–प्रणाली के पीछे मुख्य रूप से राजनीतिक इच्छा–शक्ति की कमी है।

### 7.4.2 सतत विकास पर आयोग (सीएसडी)

रियो शिखर सम्मेलन के बाद के परिदृश्य में कई देशों ने महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यूएनईपी को मजबूत किया जाना चाहिए। दूसरों ने महसूस किया कि एक नया संगठन स्थापित किया जा सकता है और स्पष्ट जनादेश और बेहतर वित्त पोषण के साथ उसे जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आगामी परिणाम सीएसडी की स्थापना था, ताकि कार्यक्रम को सशक्त करने पर कुशलतापूर्वक नजर रखी जा सके। सीएसडी का काम यूएनसीईडी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जांच और निगरानी करना है। इसके अलावा, इसे संरक्षण के प्रयासों के लिए वित्त पोषण की समीक्षा और राष्ट्र राज्यों को आवश्यक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यूएनईपी की तरह इसके पास प्रयासों को लागू करने की कोई कार्यकारी शक्ति नहीं है। यह विषयगत रूप से काम करता है और किसी भी भ्रम से बचने के लिए यह कई मुद्दों को एक साथ लेकर चलने के बजाय एक समय में कुछ निश्चित मुद्दे ही उठाता है। जैसा कि इलियट बताते हैं, गरीबी उन्मूलन, उत्पादन और खपत जैसे कुछ मुद्दे सीएसडी द्वारा शामिल किए गए हैं और इनमें से प्रत्येक के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एक व्यापक विषय है, जिनमें सबसे पहले पानी, स्वच्छता और मानव पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। आयोग का काम कमोबेश यूएनईपी से मिलता–जुलता है, क्योंकि इसने भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना किया है। जोहान्सबर्ग घोषणा–पत्र में राष्ट्रों द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धताओं के बावजूद, अब तक आवश्यक प्रगति नहीं हुई है। फिर भी, राजनीतिक इच्छा–शक्ति की कमी के कारण रियो के वादों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और कई सत्र बर्बाद हो गए। हालांकि, इसमें भी कार्यान्वयन प्राधिकरण का अभाव है और सीएसडी का अपने पूर्ववर्ती यूएनईपी के नक्शेकदम पर चलना जारी है।

### 7.4.3 वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ)

नवंबर 1990 में विश्व बैंक, यूएनडीपी और यूएनईपी द्वारा स्थापित जीईएफ का उद्देश्य नवाचार के लिए उन परियोजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वित्तपोषण करना है, जिनका लक्ष्य निवेश, तकनीकी सहायता और कुछ हद तक अनुसंधान के माध्यम से वैश्विक पर्यावरण का संरक्षण करना है (अल–अशरी, 1993)। मुख्य कार्यों में सभी तीन एजेंसियां शामिल हैं। हालांकि, यूएनडीपी तकनीकी सहायता और परियोजना की तैयारी पर ध्यान देता है, जबकि यूएनईपी तय लिए गए परियोजनाओं के लिए सचिवीय सहायता उपलब्ध कराता है। विश्व बैंक यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाओं के निवेश में जीईएफ का मूल कोष का उपयोग हो। अधिकांश

परियोजनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, क्योंकि स्थानीय परियोजनाओं का वित्तपोषण मुख्य रूप से राष्ट्र राज्यों के हाथों में होता है। फिर भी, विकसित देश जीईएफ को एक ऐसी एजेंसी के रूप में देखते हैं जो वित्तपोषण के लिए उनसे प्रतिबद्धता लेती है, जबकि विकासशील राष्ट्र अपनी प्रतिबद्धताओं को लेकर बहुत इच्छुक नहीं दिखते हैं। वे चाहते हैं कि विकासशील देशों की चिंताओं को बेहतर तरीके से समायोजित करने के लिए जीईएफ का पुनर्गठन किया जाए। उनका मानना है कि यह विश्व बैंक के आदेश पर काम करता है और इसलिए इसकी पारदर्शिता पर जोर दिया जाए।

### 7.4.4 सुधारों की आवश्यकता

संयुक्त राष्ट्र विशेष रूप से विकासशील देशों की चिंताओं को लेकर स्वयं को एक गैर–उत्तरदायी संगठन मानता है। इस पर सावधानीपूर्वक काम करने और इस अविश्वास को खत्म करने की आवश्यकता है।

प्रभावी समन्वय की कमी के कारण राष्ट्रों के बीच आम सहमति बनाने के प्रयास को नुकसान पहुंच रहा है। इसके लिए प्रयास को और बढ़ाने होंगे।

यूएनसीईडी को अपने कुछ संस्थानों के नवीनीकरण से संबंधित सुझाव मिले हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण और सतत विकास में संयुक्त राष्ट्र की क्षमता को मजबूत करना है।

एजेंसी के काम के बारे में एक रिपोर्ट संस्थागत विखंडन और सुसंगति की कमी को इंगित करता है, जिस पर गंभीरता से चर्चा और कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

जिन दो मामलों पर वास्तव में काम करने की आवश्यकता है, उनमें सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित एजेंसियों में से एक यूएनईपी को मजबूत करना शामिल है, जो पर्यावरण प्रबंधन, निगरानी और परियोजना कार्यान्वयन के कार्य को प्रभावी ढंग से कर सकती है। एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि पृथ्वी ग्रह के मुद्दों का समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय संगठन वास्तव में गंभीर हों।

**अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 3**

नोट : i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. वे कौन–से वैश्विक संस्थान हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा का नेतृत्व कर रहे हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 7.5 चिंता का विषय

प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण कल भी सबसे उपेक्षित मुद्दों में से एक था और आज भी है। पर्यावरण में गिरावट के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए योजनाबद्ध रणनीतियों और नीतियों को अपनाने के बावजूद, मानव के रूप में प्रकृति के प्रति हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। वायु, जल, भूमि संसाधनों जैसे पारिस्थितिक घटकों की सुरक्षा करना आवश्यक है। प्रकृति ने स्वयं ही मानव जाति को हमेशा दिया है। यह मनुष्य का लालच ही है जिसके परिणामस्वरूप गिरावट आई है। पर्यावरण में गिरावट मानव निर्मित आसन्न आपदा है। मानव जाति के कार्य, उसकी लापरवाही, खपत के तरीके, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और बढ़ते प्रदूषण के स्तर ने इस स्थिति में योगदान दिया है। 'मानव समाज की बढ़ती समृद्धि और इसके विकासात्मक कार्यों के कारण पारिस्थितिक घटकों – भूमि, जल, जंगल, वातावरण, निवास और संसाधनों को खतरा पैदा हो गया है।' कुछ क्षेत्र अभाव, सूखा, बाढ़ और वन आवरण में गिरावट से पीड़ित हैं। सभी प्रकार के औद्योगिक प्रदूषण, औद्योगिक कचरे में बढ़ोत्तरी, वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर, जीवाश्म ईंधन जलाना, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड का बढ़ता स्तर, औद्योगिक अपशिष्ट उत्सर्जन एवं उसके निपटान तंत्र की कमी के कारण प्रदूषण स्तर में वृद्धि हो रही है। पर्यावरण पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में कुछ मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा को नीचे दिया गया है :

### ओजोन परत में क्षरण

ओजोन परत में क्षरण और प्रकृति के संतुलन को प्रभावित करने वाली पराबैंगनी किरणों के दुष्परिणामों पर सभी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में व्यापक चर्चा की गई है। ओजोन परत के संरक्षण पर 1985 का वियना सम्मेलन और 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण समझौते हैं। परिणामस्वरूप, दुनिया भर में ओजोन क्षय करने वाले रसायनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई के लिए विकसित एवं विकासशील देशों द्वारा एक विशेष कोष बनाया गया है।

### जलवायु परिवर्तन

रियो शिखर सम्मेलन के दौरान 1992 में राष्ट्रों द्वारा किए गए समझौतों में से एक जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन था। जीईएफ के तहत इस समस्या से निपटने में विकासशील देशों की सहायता के लिए धन भी उपलब्ध कराया गया है। क्योटो संलेख इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक संधि है, क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर लगातार काम करने के लिए लक्ष्य और समय निर्धारित करता है। जहरीली गैसों का उत्सर्जन मुख्य मुद्दा है, जो प्रदूषण के उच्च स्तर का सामना करने वाले अधिकांश देशों के लिए बड़ा खतरा बन गया है।

### वनों की कटाई

बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और वन क्षेत्रों का धीरे–धीरे गायब होना संरक्षण प्रयासों के लिए बड़ा खतरा है। रियो शिखर सम्मेलन ने वनों की कटाई के मुद्दे पर चर्चा की और देश राज्यों के लिए वन संरक्षण से संबंधित कुछ गैर–बाध्यकारी सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। इसका दायित्व देशों पर है, ताकि वन क्षेत्रों की रक्षा के लिए पेड़ों की कटाई को रोका जा सके, भले ही वे बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हों या गैर–बाध्यकारी समझौते पर। वन क्षेत्रों के संरक्षण में स्वाभाविक रूप से देशों के

अद्वितीय वनस्पतियों और वन्यजीवों का भी संरक्षण शामिल है। स्थानीय निकाय और गैर–सरकारी संगठन वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।

### मरुस्थलीकरण

पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद 1994 में देश राज्यों द्वारा मरुस्थलीकरण को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे मरुस्थलीकरण से लड़ाई समझौता (कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन) के रूप में जाना जाता है। इसके लिए भागीदार राष्ट्रों को इस समझौते का पालन कैसे किया जाए, इसकी कार्ययोजना तैयार करने की भी आवश्यकता है। राष्ट्रों को मरुस्थलीकरण के मुद्दों से संबंधित विकास सहायता से रेखांकन का विकल्प भी दिया गया था।

### जैव विविधता का संरक्षण

जैव विविधता संरक्षण में वन्यजीवों, वनों, वनस्पतियों, लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण जैसे मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। प्राकृतिक वातावरण में संतुलन बनाए रखना है तो किसी भी देश के लिए जैव विविधता का संरक्षण एक आवश्यक कदम है। जैव विविधता का नुकसान सभी प्राणियों के जीवन का नुकसान है। जैव विविधता पर 1992 के रियो सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। वैश्विक पर्यावरण सुविधा भी राष्ट्र राज्यों को धन के माध्यम से समर्थन प्रदान करती है। वन्यजीव और आवास संरक्षण आज दुनिया की प्रमुख चिंताएं हैं।

### ताजा जल संसाधन

बढ़ती गर्मी के कारण नदियों का सूखना आज एक प्रमुख चिंता का विषय है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि वर्षा जल और अन्य प्राकृतिक जल संसाधनों का दोहन मानव और निवास स्थान के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। शहरी जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले मुद्दों में से एक जल संसाधनों की कमी है। बढ़ती आबादी और ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों में पलायन संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है और इनमें से पानी की उपलब्धता निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है। वाटरशेड प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का संरक्षण आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों के गैर–नौगम्य उपयोगों पर सम्मेलन में चर्चा की गई है, लेकिन राष्ट्र राज्यों की ओर से प्रतिबद्धता के मुद्दों के कारण यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं बन पाया है।

### समुद्री संसाधनों का संरक्षण

समुद्री संसाधन संरक्षण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक जल जीवों के जीवन की रक्षा करना है। समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएन कन्वेंशन ऑफ सीज) के कानून में स्पष्ट रूप से इस पहलू के बारे में नियम और कानून मौजूद हैं। बढ़ते जल स्तर व समुद्री जल प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना और व्हेल की हत्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। विभिन्न देशों के तटीय क्षेत्रों से गायब होती प्रवाल भित्तियां चिंता के कारण हैं। समुद्री संसाधनों का संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पशु आवास और पृथ्वी पर अन्य जीवित प्रजातियों का संरक्षण है। जिन राष्ट्रों में व्यापक तटीय क्षेत्र हैं, उन्हें समुद्री संसाधन संरक्षण की दिशा में बड़े कदम उठाने चाहिए।

उपरोक्त मुद्दे और उनका समाधान निकालने के लिए जो पहल की गई है, वह सराहनीय है। एक तरह से, यह राष्ट्रीय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से इन चिंताओं को दूर करने और सामूहिक रूप से इसका मुकाबला करने का प्रयास एक बड़ी पहल थी। बाध्यकारी समझौतों के लिए राजनीतिक इच्छा–शक्ति की कमी और कम उत्साही प्रतिक्रिया हतोत्साहित करने वाला है, लेकिन कुछ संबंधित राष्ट्रों की ओर से कुछ पहल इच्छा की बात कहता है। 'यह वैश्विक मुद्दा उभरा और आगे बढ़ा इसके लिए विज्ञान, सरकार, संयुक्त राष्ट्र और नागरिक समाज के अपेक्षाकृत छोटे अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता समुदाय का साधुवाद है। वास्तव में उन्होंने आगे आने के अवसर उपलब्ध कराए और ऐसे अवसर बनाए ताकि सरकारों के पास काम करने के अलावा कम विकल्प हों' (जेम्स गुस्ताव स्पेथ)।

## 7.6 पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार

राष्ट्र राज्यों द्वारा अपने नागरिकों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए हमेशा प्रयास किए जाते हैं। इस सुरक्षा का क्या अर्थ है? क्या यह शारीरिक खतरों के खिलाफ है? चोरी और सेंधमारी से? या ये मुद्दे जीवन के सामाजिक–सांस्कृतिक पहलू से बढ़ रहे हैं? क्या वे नौकरी की सुरक्षा से संबंधित हैं? यह इन सभी का मिला–जुला और इससे भी कुछ अधिक है। सुरक्षा के उपरोक्त मुद्दों पर अक्सर चर्चा और कार्रवाई की जाती है। लेकिन, पर्यावरण सुरक्षा का क्या? कौन हमें और आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ प्राकृतिक वातावरण सुनिश्चित करेगा? स्वच्छ पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कौन पहल करेगा? यह किसकी जिम्मेदारी है? ये कुछ प्रासंगिक सवाल हैं।

पर्यावरण सुरक्षा – पर्यावरण सुरक्षा का उद्देश्य लोगों को प्रकृति के छोटे और दीर्घकालिक विध्वंस, प्रकृति के लिए मानव निर्मित खतरों और प्राकृतिक पर्यावरण की गिरावट से बचाना है। विकासशील देशों में स्वच्छ जल संसाधनों की अनुपलब्धता सबसे बड़े पर्यावरणीय खतरों में से एक है। वैश्विक तापमान में वृद्धि भी एक गंभीर मुद्दा है, जो दुनिया भर में मौसम की स्थिति में संतुलन के लिए खतरा है।

स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार बेहतर मानव आवास, स्वच्छ पानी, हवा और मिट्टी की आवश्यकता का आश्वासन है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले विषाक्त पदार्थों या खतरों से मुक्त होता है। एक स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के तहत हर कोई स्वस्थ वातावरण में रहने और बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच पाने का हकदार है। राज्यों का दायित्व है कि वे पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण और सुधार को सुनिश्चित करें। इन उद्देश्यों को लागू करने के लिए राज्यों को आवश्यक उपाय करने की भी आवश्यकता है। हालांकि, लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ये प्रयास मुख्य रूप से वित्तीय और विशेष रूप से विकासशील देशों में संसाधनों की कमी के कारण प्रायः बाधित होते हैं। स्टॉकहोम घोषणा–पत्र के सिद्धांत–1 ''एक उच्च वातावरण में, जिसमें सम्मान और भलाई के साथ जीवन की अनुमति हो, स्वतंत्रता, समानता और जीवन की पर्याप्त परिस्थितियों का मौलिक अधिकार (मनुष्यों के लिए) देता है।'' स्टॉकहोम घोषणा–पत्र का सिद्धांत–7 कहता है कि राज्यों को ऐसे पदार्थों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा–पत्र और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा–पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि प्रत्येक मनुष्य को ''जीवन का अंतर्निहित अधिकार'' है और ''पर्यावरण और औद्योगिक स्वच्छता के सभी पहलुओं में सुधार'' के माध्यम से सभी को शारीरिक और मानसिक रूप से उच्चतम मानक के तहत आनंद उठाने का अधिकार है।

भारत में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का संदर्भ भाग III, संविधान के भाग IV में वर्णित मौलिक अधिकारों में या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कहीं भी प्रत्यक्ष तौर नहीं मिलता है। भारतीय न्यायपालिका द्वारा कुछ अधिकारों की पुनर्व्याख्या कर पर्यावरण संरक्षण को शामिल करते हुए इस पहलू को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इसमें कहा गया है कि जीवन के अधिकार में स्वस्थ वातावरण, प्रदूषण रहित वातावरण और एक पर्यावरण जिसमें पारिस्थितिक संतुलन राज्य द्वारा संरक्षित हो, रहने का अधिकार शामिल है। संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम 1976 में अनुच्छेद 48ए के सम्मिलन के माध्यम से राज्य की नीति के रूप में पर्यावरण संरक्षण और सुधार को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। अनुच्छेद 51ए (जी) प्रत्येक नागरिक पर ''वन, झील, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व सुधार और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया–भाव रखने की समान जिम्मेदारी डालता है।'' संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार की व्याख्या एक प्रजाति के रूप में जीवित रहने का अधिकार, जीवन की गुणवत्ता, गरिमा के साथ जीने का अधिकार और आजीविका के अधिकार के रूप में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में निहित कई निष्पक्ष स्वतंत्रता को मान्यता दी है। यह दूसरी विधि है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण के अधिकार को शामिल करते हुए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की है। (न्यायमूर्ति वाई. के. सभरवाल, मानवाधिकार और पर्यावरण)" http://supremecourtofindia-nic-in/new_links/humanrights-htm½

**अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 4**

नोट : i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. पर्यावरण सुरक्षा पर एक संक्षिप्त लेख लिखें?

.....

.....

.....

.....

.....

## 7.7 पेरिस जलवायु समझौता

दिसंबर 2015 में पेरिस में 195 से अधिक देशों की बैठक हुई। यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के तहत देशों (सीओपी 21) का 21वें सम्मेलन का अवसर था। दो सप्ताह के लंबे विचार–विमर्श के बाद भाग लेने

वाले देश एक आम सहमति पर पहुंचे। ऐतिहासिक सहमति तीन बिंदुओं पर बनीः (i) जलवायु परिवर्तन मानव गतिविधि से प्रेरित है, (ii) यह पर्यावरण और मानव जाति के लिए खतरा है और (iii) वैश्विक कार्रवाई की तुरंत आवश्यकता है। पेरिस समझौते ने सभी देशों के लिए उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक रूपरेखा भी बनाई। पेरिस जलवायु समझौता निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है :

i. मानवजनित उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग का कारण है

तीन गैस – कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, वायुमंडल में एकत्रित होते हैं और गर्मी को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में विकिरण करने से रोकते हैं और जो निर्माण करते हैं वह ग्रीनहाउस गैस प्रभाव कहलाता है। इस विषय का अध्ययन करने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक निकाय जलवायु परिवर्तन पर अंतर–सरकारी पैनल (इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज – आईपीसीसी) के अनुसार, गर्मी रोकने वाली इन ग्रीनहाउस गैसों का संकेंद्रण पहले की अपेक्षा अनसुने स्तर तक बढ़ गई है। ग्रीनहाउस गैसों के संकेंद्रण के कई स्रोत हैं, जिनमें जीवाश्म ईंधनों का जलना एक प्रमुख कारण है। वनों की कटाई और वन क्षरण भी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारी वृद्धि करता है।

ii. बढ़ता तापमान पर्यावरण और मानव जाति के लिए खतरा है

आईपीसीसी ने कहा है कि पृथ्वी एक बड़े बदलाव (टिपिंग प्वॉइंट) की ओर बढ़ रही है। गर्म तापमान – भूमि और समुद्र दोनों पर– वैश्विक मौसम के स्वरूप में बदलाव करते हैं और कैसे व कहां वर्षा होगी इसमें शीघ्रता करते हैं। ये बदलते स्वरूप खतरनाक और घातक सूखा, लू, बाढ़, जंगल की आग और हरिकेन सहित तूफान को तीव्र करते हैं। वे बर्फ के आवरण, ग्लेशियर और बर्फ के मोटी परतों को भी पिघलाते हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है और तटीय कटाव हो सकता है।

तापमान और मौसम की चरम घटनाओं में वृद्धि मनुष्यों और सभी जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डाल देती है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक गर्मी हृदयाघात से मौतों और श्वसन संबंधी रोगों में वृद्धि करती है। भारतीय शहर अहमदाबाद में मई 2010 में लू के कारण 1,300 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। उच्च तापमान अधिक धुंध, पराग और वायु जनित एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों में वृद्धि कर वायु की गुणवत्ता को कम करता है और इससे अस्थमा हो सकता है, जिससे दुनिया भर के 235 मिलियन लोग प्रभावित हैं। बहुत से निम्न पायदान वाले और गरीब विकासशील देश, जिनके पास जलवायु परिवर्तन के अनुकूल सामंजस्य बैठाने के संसाधन नहीं हैं, वे सबसे अधिक प्रभावित होंगे। हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र मालदीव समुद्र के बढ़ते जल स्तर से बच नहीं सकता है। साल 2008 में इसके राष्ट्रपति ने समुद्र स्तर के बढ़ने के कारण द्वीप के रहने योग्य नहीं रहने पर आबादी को स्थानांतरित करने के लिए कहीं और जमीन खरीदने की योजना की घोषणा की थी।

iii. ग्लोबल वार्मिंग को केवल वैश्विक कार्रवाई से कम किया जा सकता है

सामूहिक वैश्विक कार्रवाई समय की मांग है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके ही जलवायु परिवर्तन को सीमित किया जा सकता है। वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि अस्वीकार्य जोखिम होगी और इसका

परिणाम संभावित रूप से बड़े पैमाने पर विलुप्त होने, अधिक गंभीर सूखा, तूफान और आर्कटिक का जल क्षेत्र में परिवर्तन के रूप में होगा। इसलिए, पेरिस समझौते ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के अंतिम लक्ष्य को इस सदी के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया है।

### 7.7.1 पेरिस जलवायु समझौते के तहत लक्ष्य

वैश्विक जलवायु कार्रवाई का स्वरूप 32 पृष्ठों में रेखांकित है जिसके तीन मुख्य भाग हैं : (i) जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में कमी लाना, (ii) जलवायु लक्ष्यों की पारदर्शी संप्रेषण व मजबूती और (iii) विकासशील देशों के लिए समर्थन। इन तीनों तत्वों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

i. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित करना

''जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और खतरों को बहुत कम करने'' के प्रयास के तहत यह समझौता इस सदी में औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम तक सीमित रखने की बात कहता है, जबकि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री से नीचे रखने का प्रयास जारी है। यह देशों को जल्द–से–जल्द वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को समान स्तर तक लाने का प्रयास करने और सदी की दूसरी पारी तक कार्बन मुक्त हो जाने के लिए कहता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक उत्सर्जन के 90 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार 186 देशों ने अपने राष्ट्रीय कार्बन कटौती लक्ष्य को प्रस्तुत किया। ये लक्ष्य 2025 या 2030 तक उत्सर्जन (कार्बन सिंक के संरक्षण के माध्यम से) को रोकने के लिए प्रत्येक देश की प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करते हैं, जिनमें अर्थव्यवस्थानुसार और व्यक्तिगत तौर पर 2,250 शहरों व 2,025 कंपनियों की कार्बन कटौती के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।

उत्सर्जन में कैसे या कितना कटौती करनी चाहिए, इसके बारे में देशों को कोई विशेष मांग नहीं है, लेकिन खासतौर पर विकसित अर्थव्यवस्था के उत्सर्जनकर्ताओं से उच्च राजनीतिक अपेक्षाएं हैं। राष्ट्रीय योजनाएं काफी हद तक विस्तार और महत्वाकांक्षा में भिन्न होती हैं, जो मुख्य रूप से किसी देश की क्षमताओं, विकास के स्तर और उत्सर्जन में योगदान को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, भारत ने 2005 के स्तर से उत्सर्जन की सीमा को 33 से 35 प्रतिशत कम करने और 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40 प्रतिशत बिजली उत्पादन करने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया है।

ii. पारदर्शिता, जवाबदेही और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करना

पेरिस समझौते में देश के उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी, सत्यापन और सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण के अनिवार्य उपायों की एक श्रृंखला शामिल है। पारदर्शिता नियम उन राष्ट्रों को क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं जिनमें अपेक्षित क्षमता का अभाव है। अन्य आवश्यकताओं के बीच, देशों को अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों की सूची और लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को बताना आवश्यक है, ताकि बाहर के विशेषज्ञ सफलता का मूल्यांकन कर सकें। देशों से 2020 तक अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराने और हर

पांच साल में नए लक्ष्य सामने रखने की उम्मीद की जाती है। इस बीच, विकसित देशों को यह भी अनुमान लगाना होगा कि वे उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुसार तालमेल बैठाने में मदद करने के लिए विकासशील देशों को कितनी वित्तीय सहायता आवंटित करेंगे। यह पारदर्शिता और जवाबदेही प्रावधान सहकर्मी समूह की निगरानी और तेजी से लक्ष्यों को पूरा करने के दबाव की प्रकृति में है।

iii. विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन को कम करने और सामंजस्य बैठाने के लिए समर्थन जुटाना

कई विकासशील देशों और छोटे द्वीप देशों ने जलवायु परिवर्तन में बहुत कम योगदान दिया है, लेकिन वे इसके परिणामों से सबसे अधिक पीड़ित हो सकते हैं। पेरिस समझौते में विकसित एवं अन्य देशों के लिए एक योजना शामिल की गई है, ताकि जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के प्रयासों में मदद के लिए विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन मिलता रहे। वर्ष 2009 के कोपेनहेगन समझौते ने विकासशील देशों को 2020 तक 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष की वित्तीय प्रतिबद्धता उपलब्ध कराया था। पेरिस समझौते ने इस उम्मीद को स्थापित किया कि 2020 तक 100 अरब डॉलर के लक्ष्य के साथ दुनिया 2025 तक एक उच्च वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगी और इस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए तंत्र स्थापित करेगी।

हालांकि, विकासशील देशों के कटौती और सामंजस्य बैठाने के प्रयासों के लिए एक विशिष्ट राशि का योगदान करने के लिए विकसित देश कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं, लेकिन उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनके द्वारा दी जाने वाली वित्तपोषण को बताना भी आवश्यक है।

### 7.7.2 पेरिस जलवायु समझौते की कार्य–प्रणाली

समझौते के प्रभावी होने के लिए कम–से–कम ऐसे 55 राष्ट्रों का शामिल होना आवश्यक था, जो वैश्विक उत्सर्जन का कम–से–कम 55 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हों। यह समझौता 5 अक्टूबर 2016 को हुआ और 30 दिन बाद 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। वर्तमान में 197 देशों ने पेरिस समझौते को अपनाया है, जिनमें धरती के प्रत्येक देश शामिल हैं और अंतिम हस्ताक्षरकर्ता युद्ध–ग्रस्त सीरिया है। इनमें से अमेरिका सहित 179 देशों ने समझौते को औपचारिक मंजूरी दी। प्रमुख उत्सर्जक देश जो औपचारिक रूप से इस समझौते में शामिल होने बाकी हैं, वे रूस, तुर्की और ईरान हैं।

पेरिस समझौते का लक्ष्य इस सदी में वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। अध्ययनों से पता चलता है कि अलग–अलग देशों ने जो वादे किए हैं, वे तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके बजाय, जिन देशों ने लक्ष्य रखा है वे भविष्य के तापमान में 2.7 और 3.7 डिग्री सेल्सियस के बीच वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा, जिस तरह से कई देश प्रदर्शन कर रहे हैं, वे पहले ही अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं से पीछे हैं। उम्मीद है कि समय के साथ देश उत्सर्जन स्तर में अपने प्रयासों को बढ़ावा देंगे।

अमेरिका ने औपचारिक रूप से समझौते को राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से अपनाया था। समझौते ने अमेरिका पर कोई नया दायित्व नहीं थोपा, इसके बावजूद कार्बन प्रदूषण में कटौती करने के लिए कांग्रेस द्वारा कई घरेलू कानून पारित किए गए। यूएस औपचारिक रूप से सितंबर 2016 में समझौते में शामिल हुआ। साल 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की थी कि यदि वह निर्वाचित होते हैं तो वह अमेरिका को पेरिस समझौते से बाहर लाएंगे। 'क्लाइमेट डेनायर' उम्मीदवार ट्रम्प ने जलवायु परिवर्तन को चीन का एक "छल" बताया था। जीत के बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने समझौते से अमेरिका के अलग होने की घोषणा कर दी। हालांकि, अमेरिका के अलग होने में कम–से–कम तीन साल लगेंगे। पेरिस समझौते के प्रावधानों के तहत, किसी भी देश को इस समझौते से अलग होने की औपचारिक घोषणा करने से पहले कम–से–कम तीन साल तक वहां इस समझौते का लागू रहना आवश्यक है। उसके बाद, वास्तव में संधि से अलग होने से पहले एक साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति चुनाव के एक दिन बाद यानी 4 नवंबर 2020 तक समझौते से बाहर निकल सकता है। विशेषज्ञों का विचार है कि औपचारिक रूप से अलगाव भी स्थायी नहीं होगा। भावी राष्ट्रपति एक महीने की सूचना देकर फिर से इस समझौते से जुड़ सकते हैं। इस बीच, अमेरिकी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता में भाग लेते रहे हैं, ताकि पेरिस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि, इसे बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है और राज्य एवं स्थानीय सरकार की पहल एवं आंदोलन गहरा और कार्रवाई तेज होती जा रही है। देश को समझौते से अलग करने के राष्ट्रपति ट्रम्प के निर्णय के बावजूद इनमें से प्रत्येक प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिका को पेरिस समझौते के लक्ष्य की दिशा में काम करने पर केंद्रित रख रहा है।

### 7.7.3 वैश्विक राजनीति और जलवायु परिवर्तन की कूटनीति

पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दशकों से जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की परिणति है। साल 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन (यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज – यूएनएफसीसीसी) सहित कई पर्यावरण संबंधी समझौतों को अपनाया था, जो आज भी प्रभावी हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से यूएनएफसीसीसी का उद्देश्य दीर्घावधि में पृथ्वी की जलवायु प्रणालियों के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना था। इसने देशों के लिए व्यक्तिगत रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की सीमा निर्धारित नहीं की और ना ही प्रवर्तन तंत्र उपलब्ध कराया। इसके बजाय, इसने भविष्य के समझौतों या संलेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय वार्ता की एक रूपरेखा स्थापित की, ताकि बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें। वर्ष 1992 के बाद से भाग लेने वाले देश अपनी प्रगति का आकलन करने के लिए दलों के सम्मेलन (सीओपी) में सालाना मिलते हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सर्वोत्तम तरीकों पर बातचीत जारी रखते हैं।

ऐतिहासिक पर्यावरण संधि क्योटो संलेख को 1997 में जापान में सीओपी–3 में अपनाया गया था। क्योटो संलेख का महत्व यह है कि पहली बार देशों ने कानूनी रूप से अनिवार्य, देश आधारित उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों पर सहमति व्यक्त की। साल 2005 में लागू हुए संलेख ने केवल विकसित देशों के लिए इस आधार पर बाध्यकारी

उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य निर्धारित किए कि वे पृथ्वी के अधिकांश उच्च ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार थे। अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर किया, लेकिन समझौते की पुष्टि नहीं की। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि इस समझौते से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा क्योंकि चीन और भारत जैसे विकासशील देश इसमें शामिल नहीं हैं। इस प्रकार तीन प्रमुख अर्थव्यवस्था इसमें शामिल नहीं हैं, इसलिए क्योटो संलेख ने केवल मामूली उत्सर्जन लक्ष्य हासिल किए।

क्योटो संलेख की प्रारंभिक प्रतिबद्धता अवधि 2012 तक बढ़ाई गयी और फिर कतर के दोहा में सीओपी–18 में इसे 2020 तक बढ़ाया गया था। कई विकसित राष्ट्र अपनी क्योटो प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गए थे। फिर भी, 2011 में डरबन में सीओपी–17 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए डरबन में 2015 तक एक नई और व्यापक जलवायु संधि पर सहमति व्यक्त की गई थी जिसमें चीन, भारत और अमेरिका जैसे बड़े उत्सर्जक देश शामिल किए जाएंगे, जो क्योटो संलेख में शामिल नहीं थे। डरबन में ली गई प्रतिज्ञा का परिणाम पेरिस जलवायु समझौता, 2015 के रूप में समापन हुआ। पेरिस समझौता साल 2020 तक क्योटो संलेख की जगह लेगा।

क्योटो संलेख और पेरिस जलवायु समझौते में कुछ उल्लेखनीय अंतर हैं।

i) क्योटो संलेख में सिर्फ विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया गया है, साथ ही इसका अनुपालन नहीं करने पर दंड का प्रावधान है। पेरिस समझौते के लिए आवश्यक है कि अमीर, गरीब, विकसित और विकासशील, सभी देश अपने हिस्से का काम करें और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करें।

ii) पेरिस समझौते को अधिक लचीला बनाया गया हैः समझौते में देशों की प्रतिबद्धताओं के स्तर का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्र स्वेच्छा से अपने उत्सर्जन लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) कहा जाता है। इसके अलावा, देशों को अपने प्रस्तावित लक्ष्यों को पूरा नहीं करने पर दंड नहीं देना होगा। हालांकि, पेरिस समझौते को व्यापक उद्देश्यों तक पहुंचने के प्रयास में देशों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक लक्ष्य की निगरानी, प्रस्तुतीकरण और पुनर्मुल्यांकन आवश्यक है। समझौता के अनुसार, देशों को हर पांच वर्ष में अपने अगले लक्ष्य की घोषणा करना है, जो कि क्योटो संलेख के विपरीत है, जिसमें सामयिक लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया गया था।

**अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 5**

नोट : i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. पेरिस जलवायु समझौता क्या है? इसके मुख्य लक्ष्य की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

## 7.8 भारत और पेरिस जलवायु प्रतिबद्धताएं

पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने अपने लिए तीन लक्ष्य निर्धारित किए थे। इनमें दो लक्ष्य को 2030 की समयसीमा के आगे प्राप्त करने की संभावना है। पेरिस समझौते के तहत तीन प्रतिबद्धताएं हैं: (i) सकल घरेलू उत्पाद की ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता 2030 तक 2005 के स्तर से 33–35: कम हो जाएगी। (ii) भारत की ऊर्जा–शक्ति का चालीस प्रतिशत गैर–जीवाश्म ईंधन संसाधनों से आएगा। (iii) भारत 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ–2) के बराबर अतिरिक्त कार्बन अवशोषक स्थापित करेगा।

दिसंबर 2018 में यूएनएफसीसीसी को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत 2030 की समयसीमा से पहले अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता की हिस्सेदारी के लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते पर है। हालांकि, एक अतिरिक्त कार्बन अवशोषक बनाने के लिए वन क्षेत्रों में बढ़ोत्तरी के अपने तीसरे लक्ष्य से पीछे रह गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 2014 में 2: से अधिक की वार्षिक औसत सुधार के साथ 2005 के स्तर से 21: कम हो गई है। वैश्विक उत्सर्जन में भारत की सिर्फ 7: हिस्सेदारी है। प्रति व्यक्ति शर्तों के हिसाब से इसका उत्सर्जन अभी भी बहुत कम है और 2014 के अनुसार केवल 2.5 जब्2म प्रति व्यक्ति है।

मार्च 2018 तक, इसकी क्षमता का 35: अक्षय ऊर्जा, पनबिजली और परमाणु जैसे गैर–जीवाश्म ईंधन पर आधारित था। भारत वास्तव में अपनी ऊर्जा क्षेत्र में नवीनीकरण के अनुपात को बढ़ाकर अपनी प्रतिबद्धताओं से आगे जा रहा है।

अक्षय ऊर्जा पर भारत की आक्रामक नीति मुख्य रूप से अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रण में रखने के घरेलू प्रोत्साहन से प्रेरित है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत का वायु प्रदूषण स्तर घरेलू संकट बन गया है। अमेरिकी विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में वायु प्रदूषण के कारण साल 2017 में लगभग 1.24 मिलियन लोगों की मौत हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुमान है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण के स्तर वाले 12 शहरों में से 11 भारत में हैं।

दूसरा, घरों में ऊर्जा की बड़ी जरूरतों के कारण भी नवीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 30 मिलियन से अधिक घर अभी भी बिना बिजली के हैं और अपने सभी नागरिकों के लिए विश्वसनीय ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की प्रतिबद्धता है।

अंत में, भारत सौर ऊर्जा उद्योग में अग्रणी होने से आर्थिक रूप से लाभान्वित हो रहा है। नीतिगत प्रोत्साहन और तकनीकी नवाचारों के मिश्रण ने 2017–18 में दो वर्षों के अंदर अक्षय ऊर्जा की लागत को लगभग 50 प्रतिशत कम कर दिया है। इस क्षेत्र में इसका अपना प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है और इस प्रक्रिया में और अधिक ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त होगा। भारत एक विशाल विकासशील देश है जो अभी भी औद्योगिकीकरण कर रहा है, लेकिन स्थायी रूप में। भारत ने ऊर्जा के स्रोत के रूप में अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को निर्धारित किया है: वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट (जीडब्ल्यू) सौर ऊर्जा, 60 गीगावॉट पवन ऊर्जा और 15 गीगावॉट

अतिरिक्त बायोमास एवं छोटे पनबिजली को स्थापित करना और इस प्रक्रिया में 330,000 नई नौकरियां उत्पन्न करना शामिल है। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2014 से 2018 तक आठ गुना बढ़ी (2.63 गीगावॉट से 22 गीगावॉट) और इसी अवधि में इसकी पवन ऊर्जा क्षमता 21 गीगावॉट से बढ़कर 34 गीगावॉट हो गई। इससे कुल 70 गीगावॉट तक अक्षय ऊर्जा क्षमता मिलती है। देश का लक्ष्य 2022 तक 227 गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचना है। इसके समानांतर भारत ने 2018 की पहली छमाही तक अपने लगभग 25: कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद कर दिया था।

जलवायु परिवर्तन और पेरिस प्रतिबद्धताओं के लिए भारत का दृष्टिकोण यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते के सिद्धांतों और प्रावधानों, विशेष रूप से सामान्य और समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमता (सीबीपीआर–आरसी) द्वारा निर्देशित है। भारत पेरिस समझौते को सामूहिक रूप से लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पेरिस जलवायु समझौते पर बनी सहमति के तहत विकासशील देशों की कार्रवाइयों को वित्त, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग सहित कार्यान्वयन के पर्याप्त साधनों के माध्यम से विकसित देशों सहयोग करें। समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी के सिद्धांत का मतलब है कि जो लोग अधिक प्रदूषित करते हैं और अपनी अर्थव्यवस्थाओं का विकास करते हैं, उनके पास जलवायु परिवर्तन को कम करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन सबकी जिम्मेदारी है।

**अपनी प्रगति की जांच करें अभ्यास 6**

नोट : i) उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली जगहों का प्रयोग करें

ii) उत्तर के सुझावों के लिए खंड के अंत में देखें

1. भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और उन्हें प्राप्त करने में इसकी प्रगति पर एक लेख लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

## 7.9 सारांश

पर्यावरण नियमन के मुद्दों को संभालना बहुत कठिन है। विशेष रूप से ऐसा तब होता है जब सामूहिक चर्चा और कार्रवाई होती है। दुनिया पूरी तरह विरोधाभासी स्थिति में जी रही है। एक ओर, नागरिकों को जीवन और जीवन स्तर प्रदान करने की राष्ट्रीय मजबूरियां हैं। दूसरी ओर, ऐसे दायित्व हैं जिनमें राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि प्राकृतिक आवास बरकरार रहे। दुविधा में पड़कर अधिकांश देश, खासकर विकासशील देश, आपदा की ओर और अधिक बढ़ रहे हैं। अनियंत्रित विकास प्रायः संसाधन प्रबंधन के लिए बाधक होते हैं। क्या चुनना है और क्या छोड़ना है यह चिंता

का एक प्रमुख विषय है। 21वीं सदी ने कई चुनौतियों को देखा, लेकिन उन्हें हल करने का कई अवसर भी दिया है। जैसा कि इलियट बताते हैं कि यह पर्यावरण की देखभाल, ग्रहों के प्रतिमान, पर्यावरण क्रांति वाले नई विश्व का आह्वान है। इसमें पारिस्थितिक जिम्मेदारी, पर्यावरणीय प्रतिष्ठा और मानव सुरक्षा पर जोर देने की एक मजबूत मान्यता शामिल है।

## 7.10 संदर्भ ग्रंथ

इलियट, लोर्रेन, (2004), *दि ग्लोबल पोलिटिक्स ऑफ दि इन्वायरमेंट,* न्यू यॉर्क : पालग्रेव मैकमिलन। हेवूड, वी. एच. एण्ड के. गार्डनर, ऐडिटर्स (1995), *ग्लोबल बायोडायवर्सिटी ऐसेसमेंट,* कैम्ब्रिज : यूएनईपी एण्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रैस।

खोर, मार्टिन, (2001), ''ग्बलाइजेशन एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट : दि च्वाइसेज बिफोर रियो+10'' *इंटरनेशनल रिव्यू फॉर इंवायरमेंट स्ट्रैटजीज,* वॉल्यूम–2, नंबर–2

साच्स, वॉल्फगेंग, (1999), *प्लांट डयलेक्टिक्स : इक्स्प्लोरेशंस इन इन्वायारमेंट एण्ड डेवलपमेंट,* लन्दन : जेड बुक्स।

स्पेथ, जेम्स गस्टेव, (2004), *ग्लोबल इन्वायरमेंट चैलेंजेज, ट्रांजिशंस टू ए सस्टेनेबल वर्ल्ड,* येल : येल यूनिवर्सिटी प्रेस।

स्ट्रॉंग, मॉरिस (2001), *व्हैर ऑन अर्थ आर वी गोइंग,* न्यू यॉर्क : टैक्सेयर

वॉल्र, जे., (2005), ''इन्वायरमेंटल इश्यूज'' इन बेलिस एण्ड एस स्मिथ, ऐडिटर्स *दि ग्लोबलाइजेशन ऑफ पोलिटिक्स : ऐन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस,* न्यूडेल्ही : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

वाय. के. सब्बरवाल, ह्यूमन राइट्स एण्ड दि इन्वायरमेंट,
http://supremecourtofindia.nic.in/ new_links/humanrights.htm